न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
46 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	18.06.2020	28.07.2023

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

............आवेदक

बनाम

1–श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स भंवरलाल कैलाश चन्द जैन शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक निवासी सदर बाजार पीपलू जिला टोंक
2–मैसर्स भंवरलाल कैलाश चन्द जैन शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक
3–श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन निवासी वार्ड नं. 5 सब्जी मण्डी के पास निवाई जिला टोंक मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
4–मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
5–श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र स्वरूप गुप्ता निवासी ख–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने, सीकर रोड, डेहर के बालाजी, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स रिद्धि सिद्धी सेल्स एजेन्सी ए–23, विकास नगर, मुरलीपुरा, जयपुर प्रथम राज.
6–मैसर्स रिद्धि सिद्धी सेल्स एजेन्सी ए–23, विकास नगर, मुरलीपुरा, जयपुर प्रथम राज.
7–श्री नवीन खण्डेलवाल पुत्र श्री महेन्द्र स्वरूप गुप्ता निवासी ख–52, भवानी नगर, मुरलीपुरा विद्यालय के सामने, सीकर रोड, डेहर के बालाजी, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयुपर राज.
8–मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयुपर राज.

..............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री मयंक गुप्ता उप.।

:–निर्णय–:

दिनांक 28.07.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.10.2019 को समय 02:19 पी.एम पर मैसर्स भंवरलाल कैलाश चन्द जैन शिवालय रोड पीपलू जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक/प्रोपरायटर होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखलाया

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** के 905 ग्राम के 3 मूल पैक व 455 ग्राम के 2 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बुद्धिप्रकाश जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** जिसके बैच नम्बर 189 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2019 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है 905 ग्राम के 3 मूल पैक व 455 ग्राम के 1 मूल पैक कुल मात्रा 3170 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** कुल मात्रा 3170 ग्राम के चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2296 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2296 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री भंवरलाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया जिससे आवेदक द्वारा सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स रिद्वि सिद्वी सेल्स एजेन्सी ए–23, विकास नगर, मुरलीपुरा, जयपुर प्रथम राज. का बिल पेश किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2370 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2172/एक्ट/2019/1724 दिनांक 15.10.2019 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने मैसर्स मैसर्स रिद्धि सिद्धी सेल्स एजेन्सी ए–23, विकास नगर, मुरलीपुरा, जयपुर राज. को पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने मैसर्स सोडरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया जयपुर राज. का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री मयंक गुप्ता श्री मुकेश कुमार जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है, मात्र विटामिन ए तथा Boudouin test के लिए किए गए जांच में इसका परिणाम Negative होने की वजह से उक्त नमूना **अवमानक** स्तर का पाया गया है। इस खाद्य पदार्थ में अन्य किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा भविष्य में इस खाद्य पदार्थ में इस तरह का कोई दोष प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** का विक्रय कर रहे थे, वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **हाईड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल कृष्णम ब्राण्ड (Hydrogenated Vegetable Oil Krishnam Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक